440

संख्या– /IV-3/2016–45(सा0)/2015

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः29 मई, 2017

विषय–"स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत जन–जागरूता एवं आई0ई0सी0 तथा क्षमता अभिवृद्धि व्यय, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय हेतु केन्द्रांश धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–914/4/15–16/एस0बी0एम0, दिनांक 03.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1/18/2015–एस0बी0एम0 दिनांक 01.05.2017 के कम में जन–जागरूता एवं आई0ई0सी0 हेतु अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 277.42 लाख तथा पत्र संख्या–1/18/2015–एस0बी0एम0 दिनांक 01.05.2017 के द्वारा क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय हेतु अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 152.15 लाख के साथ ही राज्यांश की धनराशि भी अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रकरण में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3 (150)/xxvii (1)/2017, दिनांक 31.03.2017 के प्रस्तर–12 में यह प्राविधान है कि केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत जन–जागरूता एवं आई0ई0सी0 तथा क्षमता अभिवृद्धि व्यय, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय हेतु कुल रू0 429.57 लाख (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) केन्द्रांश की धनराशि निम्न प्रकार अवमुक्त करते हुये आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त केन्द्रांश
1	जन–जागरूता एवं आई0ई0सी0	277.42
2	क्षमता अभिवृद्धि व्यय, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	152.15
	योग	429.57

(i) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

(iii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) स्वच्छ भारत मिशन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय–समय पर निर्मत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(vi) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने आवश्यक होंगे एंव निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगें।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 20.05.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।

(ix) निर्माण कार्यों के संबधं में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन जारी दिशा–निर्देशों के कम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(x) धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्यांश की औचित्यपूर्ण मांग के साथ शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

4— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0108–स्वच्छ भारत मिशन– 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता" मद के नामे डाला जायेगा।

5— उक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 के प्राविधानों के कम में निर्गत की जा रही है।

6— एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–S1705130199 दिनांक 29 मई, 2017 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव।

<u>संख्या– 551 /IV-3/2016–45(सा0)/2015, तद्‌दिनांक:</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. जिनी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।